न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2015/ 00058**

दायरा तिथि : 06.10.2015

निर्णय तिथि : 30-12-2025

वादी :–

स्व. गिरधारीसिंह पुत्र केशरसिंह जी के वारिसान

1. मानसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह
2. लालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह
3. रूकमादेवी पुत्री स्व. गिरधारीसिंह
4. बसंती पुत्री स्व. गिरधारीसिंह
5. कमला पुत्री स्व. गिरधारीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण फालनागांव तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. पेपीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह के वारिसानः–
   - 1/1. स्व. मानसिंह पुत्र वरदसिंह के कामु वारिसान
     - 1/1/1. प्रवीणसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
     - 1/1/2. छोटूसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
     - 1/1/3. सुशीलाकंवर पत्नी स्व. मानसिंह
   - 1/2. कमलाकंवर पुत्री वरदसिंह
2. स्व. पवनीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह के कामु वारिसान
   - 2/1. हीरसिंह पुत्र लालसिंह
   - 2/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र लालसिंह
   - 2/3. अनिता पुत्री लालसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह
   - 2/4. लालसिंह पुत्र मेघसिंह
3. कुन्तादेवी पुत्री रूगनाथसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण फालनागांव
4. आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी फालना स्टेशन
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी .....अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री अमृत परिहार .....अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से
3. श्री हनुमानसिंह चौहान ..... अधिवक्ता प्रतिवादी 04 की ओर से
4. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

–:: निर्णय ::– दिनांक 30/12/025

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम फालना गांव के खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेंधाज्ञा की मांग इस बिनाह पर की जा रही है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज रामसिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिस भूमि में रामसिंह की मृत्यु के बाद उनके पांच पुत्रों यथा केसर सिंह, प्रेमसिह, रूगनाथसिंह, वेनसिंह, छगनसिंह का 1/5, 1/5 हिस्सा रहा। तथा इसी हिस्से अनुसार वादीगण एवं स्व. रामसिंह के अन्य पुत्र मौके पर काबिज रहे। समय–समय पर रामसिंह के अन्य पुत्रों ने अपने हिस्से की भूमि को बेच दिया लेकिन वादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर आज भी काबिज है। वादीगण ने पहले इस बाबत् कोई ध्यान नही दिया, परन्तु जब रूगनाथसिंह पुत्र रामसिह की वारिस 3 पुत्रियों यथा पेपी, पवनी व कुन्ता ने वादीगण के 1/5 हिस्से अनुसार कब्जे बंट में आई भूमि

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058

अनवान स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

फालना गांव के खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर से बेदखल करने की धमकी दी तब राजस्व रिकार्ड की नकलें निकाली तो जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि में अकेले रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह का नाम दर्ज कर दिया तथा बाद में रामसिंह के अन्य पुत्रों व रूगनाथसिंह द्वारा भूमि का बेचान अन्य लोगो को कर देने से अब मात्र वादीगण के हिस्से की भूमि ही रही है तथा खसरा न. 922, 1015, 1029 ,1030, 1031 कुल रकबा 2.23 हैक्टर के 1/5 हिस्से अनुसार खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि होते हुए प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 तथा खरीदकर्ता आशा अग्रवाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के पास घोषणा खातेदारी के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहने से वादीगण द्वारा पुश्तैनी भूमि के पुराने कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2060 से 2063, 2064 से 2067 की प्रति एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति प्रदर्श–1, नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 , अन्य भूमि बेरा की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति, वादीगण के पिता गिरधारी सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–4 ए वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता का पुराना कब्जा काश्त होने के प्रमाणस्वरूप फालना गांव के खसरा न. 1031 व गत खसरा न 181मी. की खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2033 की प्रति प्रदश–3, मौके के फोटो चित्र की प्रति पेश की। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह pw–1 श्री लालसिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 52 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव गवाह pw–2 मानसिंह पुत्र गिरधारी सिह उम्र 60 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव, pw–3 चन्दन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह आयु 70 वर्ष,. जाति भाटी निवासी फालना गांव, गवाह pw–4 पाबुदेवी पत्नी दौलाराम उम्र 65 वर्ष, जाति माली निवासी फालना गांव , गवाह pw–5 भुराराम पुत्र खुमाजी आयु 80 वर्ष, जाति चौधरी निवासी फालना गांव, गवाह pw–6 मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 75 वर्ष, जाति चौहान निवासी फालनागांव के बयान कलमबद्व कराये गए। इसके विपरीत प्रतिवादी स. 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि रामसिंह की पुश्तैनी भूमि न होकर रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह की स्व अर्जित खातेदारी कृषि भूमि रही है। जिस भूमि के खातेदार रूगनाथसिंह की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण सं. 733 दिनांक 22.12.2008 के जरिये भूमि रूगनाथसिंह के सभी वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा बाद में वादग्रस्त कृषि भुमि में से खसरा न 922, 1015 ,1029, 1050, 1031 कुल क्षेत्रफल 2.23 हैक्टर के सह खातेदार हरिसिंह, हुकम सिंह पुत्र रूगनाथसिंह व मीरादेवी पत्नि रूगनाथसिंह, दरीया देवी, गीता देवी पुत्रियां रूगनाथसिंह द्वारा पंजीबद्व रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.05.2009 के जरिये अपने निहित 5/8 हिस्से के हक हकुक प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह रावणा राजपूत निवासी फालना गांव को बेचान किये गये। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरण सं. 761 के द्वारा प्रेमसिह पुत्र रामसिंह का 5/8 हिस्सा में नाम दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में इन्द्राज हुआ। तथा बाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/8 हिस्से की सह खातेदार कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथ जी ने स्वयं का 1/2 हिस्सा यानी कुल भूमि के 1/16 हिस्सा का हक तर्क नामा सह खातेदार श्रीमती पवनी देवी पुत्री रूगनाथ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव के हक में पंजीबद्व तर्कनामा दिनांक 09.09.2009 के जरिये हक त्याग किये। जिससे नामान्तरण सं. 806 दिनांक 15.10.2009 के आधार पर जमांबदी में पेपी देवी पुत्री रूगनाथसिंह 1/8 हिस्सा, पवनी देवी पुत्री रूगनाथसिह को 3/16 हिस्सा, कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथसिंह का 1/16 हिस्सा तथा प्रेमसिह पुत्र रामसिंह का 5/8 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा के आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल द्वारा खरीद करने से आशा अग्रवाल का नाम दर्ज हुआ। तथा बाद में सह खातेदार कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथसिंह का 1/16 हिस्सा हुकमसिह पुत्र रूगनाथसिंह को बक्शीश 05.06.2015 के जरिये बक्शीश किया तथा 1/8 हिस्सा के

पेज लगातार.....03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058
अनवान स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खातेदार पेपी देवी पुत्री रूगनाथसिंह के द्वारा अपनी भूमि का बेचान हुक्मसिंह पुत्र रूगनाथसिंह को, पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 24.09.2015 के जरिये हस्तांतरित किये परन्तु प्रकरण में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से हुक्मसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के 3/16 हिस्सा में नाम दर्ज नही हुआ। वादीगण ने इन तथ्यों को छिपाते हुए वाद पेश किया है जो काबिल खारिज है प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियेः—

1. जमाबंदी सं 2060—63 की प्रमाणित प्रति
2. जमाबंदी सं 2064—67 की फोटो प्रति
3. हक तर्क दिनांक 09.9.2009 की फोटो प्रति
4. नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति
5. जमाबंदी सवंत 2064—67 की फोटो प्रति
6. विक्रय विलेख दिनांक 16.5.2011 की फोटो प्रति
7. जमाबंदी सं. 2068—71 की फोटो प्रति
8. बख्शीशनामा दिनांक 05.06.2015 की फोटो प्रति
9. खास मुख्त्यारनामा दिनांक 10.08.2015 की फोटो प्रति
10. जनरल पावर ऑफ अटार्नी की फोटो प्रति दिनांक 17.09.2015
11. विक्रय विलेख दिनांक 24.09.2015 की फोटो प्रति
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 की फोटो प्रति
13. जमाबंदी सं. 2028—2031 की प्रमाणित प्रति

इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह Dw—01 आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल उम्र 50 वर्ष निवासी फालना स्टेशन के बयान कराये गये।

दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम फालना गांव के खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग इस बिनाह पर की जा रही है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज रामसिंह के कब्ज़े काश्त की भूमि रही है। जिस भूमि में रामसिंह की मृत्यु के बाद उनके पांच पुत्रों यथा केसर सिंह, प्रेमसिह, रूगनाथसिंह, वेनसिंह, छगनसिंह का 1/5, 1/5 हिस्सा रहा। तथा इसी हिस्से अनुसार वादीगण एवं स्व. रामसिंह के अन्य पुत्र मौके पर काबिज रहे। समय—समय पर रामसिंह के अन्य पुत्रों ने अपने हिस्से की भूमि को बेच दिया लेकिन वादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर आज भी काबिज है। वादीगण ने पहले इस बाबत् कोई ध्यान नही दिया, परन्तु जब रूगनाथसिंह पुत्र रामसिह की वारिस 3 पुत्रियों यथा पेपी, पवनी व कुन्ता ने वादीगण के 1/5 हिस्से अनुसार कब्जे बंट में आई भूमि फालना गांव के खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर से बेदखल करने की धमकी दी तब राजस्व रिकार्ड की नकलें निकाली तो जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि में अकेले रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह का नाम दर्ज कर दिया तथा बाद में रामसिंह के अन्य पुत्रों व रूगनाथसिंह द्वारा भूमि का बेचान अन्य लोगो को कर देने से अब मात्र वादीगण के हिस्से की भूमि ही रही है तथा खसरा न. 922, 1015, 1029 ,1030, 1031 कुल रकबा 2.23 हैक्टर के 1/5 हिस्से अनुसार खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि होते हुए प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 तथा खरीदकर्ता आशा अग्रवाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के पास घोषणा खातेदारी के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहने से वादीगण द्वारा पुश्तैनी भूमि के पुराने कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2060 से 2063, 2064 से 2067 की प्रति एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति प्रदर्श—1, नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—2 , अन्य भूमि बेरा की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति, वादीगण के पिता गिरधारी सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श—4 ए वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता का पुराना कब्जा काश्त होने के प्रमाणस्वरूप फालना

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058

वान स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

गांव के खसरा न. 1031 व गत खसरा न 181मी. की खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2033 की प्रति प्रदश–3, मौके के फोटो चित्र की प्रति पेश की। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह pw–1 श्री लालसिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 52 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव गवाह pw–2 मानसिंह पुत्र गिरधारी सिह उम्र 60 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव, pw–3 चन्दन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह आयु 70 वर्ष, जाति भाटी निवासी फालना गांव, गवाह pw–4 पाबुदेवी पत्नी दौलाराम उम्र 65 वर्ष, जाति माली निवासी फालना गांव , गवाह pw–5 भुराराम पुत्र खुमाजी आयु 80 वर्ष, जाति चौधरी निवासी फालना गांव, गवाह pw–6 मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 75 वर्ष, जाति चौहान निवासी फालनागांव के बयान कलमबद्व कराये गए। इसके विपरीत प्रतिवादी स. 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि रामसिंह की पुश्तैनी भूमि न होकर रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह की स्व अर्जित खातेदारी कृषि भूमि रही हैं। जिस भूमि के खातेदार रूगनाथसिंह की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण सं. 733 दिनांक 22.12.2008 के जरिये भूमि रूगनाथसिंह के सभी वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा बाद में वादग्रस्त कृषि भुमि में से खसरा न 922, 1015 ,1029, 1050, 1031 कुल क्षेत्रफल 2.23 हैक्टर के सह खातेदार हरिसिंह, हुकम सिंह पुत्र रूगनाथसिंह व मीरादेवी पत्नि रूगनाथसिंह, दरीया देवी, गीता देवी पुत्रियां रूगनाथसिंह द्वारा पंजीबद्व रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.05.2009 के जरिये अपने निहित 5/8 हिस्से के हक हकुक प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह रावणा राजपूत निवासी फालना गांव को बेचान किये गये। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरण सं. 761 के द्वारा प्रेमसिह पुत्र रामसिंह का 5/8 हिस्सा में नाम दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में इन्द्राज हुआ। तथा बाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/8 हिस्से की सह खातेदार कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथ जी ने स्वयं का 1/2 हिस्सा यानी कुल भूमि के 1/16 हिस्सा का हक तर्क नामा सह खातेदार श्रीमती पवनी देवी पुत्री रूगनाथ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव के हक में पंजीबद्व तर्कनामा दिनांक 09.09.2009 के जरिये हक त्याग किये। जिससे नामान्तरण सं. 806 दिनांक 15.10.2009 के आधार पर जमांबदी में पेपी देवी पुत्री रूगनाथसिंह 1/8 हिस्सा, पवनी देवी पुत्री रूगनाथसिह को 3/16 हिस्सा, कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथसिंह का 1/16 हिस्सा तथा प्रेमसिह पुत्र रामसिंह का 5/8 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा के आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल द्वारा खरीद करने से आशा अग्रवाल का नाम दर्ज हुआ। तथा बाद में सह खातेदार कुन्ता देवी पुत्री रूगनाथसिंह का 1/16 हिस्सा हुकमसिह पुत्र रूगनाथसिंह को बक्शीश 05.06.2015 के जरिये बक्शीश किया तथा 1/8 हिस्सा के खातेदार पेपी देवी पुत्री रूगनाथसिंह के द्वारा अपनी भूमि का बेचान हुक्मसिंह पुत्र रूगनाथसिंह को पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 24.09.2015 के जरिये हस्तांतरित किये परन्तु प्रकरण में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से हुक्मसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के 3/16 हिस्सा में नाम दर्ज नही हुआ। वादीगण ने इन तथ्यों को छिपाते हुए वाद पेश किया है जो काबिल खारिज है प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. जमाबंदी सं 2060–63 की प्रमाणित प्रति
2. जमाबंदी सं 2064–67 की फोटो प्रति
3. हक तर्क दिनांक 09.9.2009 की फोटो प्रति
4. नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति
5. जमाबंदी सवंत 2064–67 की फोटो प्रति
6. विक्रय विलेख दिनांक 16.5.2011 की फोटो प्रति
7. जमाबंदी सं. 2068–71 की फोटो प्रति
8. बख्शीशनामा दिनांक 05.06.2015 की फोटो प्रति
9. खास मुख्त्यारनामा दिनांक 10.08.2015 की फोटो प्रति
10. जनरल पावर ऑफ अटार्नी की फोटो प्रति दिनांक 17.09.2015

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....05

11. विक्रय विलेख दिनांक 24.09.2015 की फोटो प्रति
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 की फोटो प्रति
13. जमाबंदी सं. 2028–2031 की प्रमाणित प्रति

इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह कू–01 आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल उम्र 50 वर्ष निवासी फालना स्टेशन के बयान कराये गये।
पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णीत किया जाता है:–

1. आया कि वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. रामसिंह की थी?..... ... वादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 रामसिंह जी के कब्जे काश्त की भूमि होना वर्णित करते हुए पुश्तैनी भूमि होने से तथा वादीगण के पूर्वज रामसिंह के पांच पुत्र केसरसिह, प्रेमसिंह, वेनसिंह, रूगनाथसिंह, छगनसिंह होने से तथा वादीगण रामसिंह के पुत्र केसरसिंह के पुत्र गिरधारीसिंह के वारिस होने से वादग्रस्त भूमि फालना गावं के हाल खसरा न. 922, 1015, 1029, 1030, 1031 कुल रकबा 2.23 हैक्टर के 1/5 हिस्से बंट अनुसार खसरा न. 1031 रकबा 0.38 हैक्टर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि होने से पुश्तैनी हक अनुसार घोषणा खातेदारी की मांग की है। परन्तु वादी गण द्वारा वादपत्र के समर्थन में इस बाबत् रिकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी में नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य पेश नही किया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी जबाववादावा में भूमि स्व. रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह की स्वअर्जित भूमि होना वर्णित किया परन्तु इसके समर्थन में अधिकृत दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री इत्यादि की प्रति पेश नही की गई, अर्थात प्रतिवादी भी भूमि स्व. रूगनाथसिह पुत्र रामसिंह की स्वअर्जित भूमि साबित करने में असफल रहे हैं। रिकार्ड आफ राइटस के अतिरिक्त कब्जे को साबित करने के लिए विधिमान्य अधिकृत दस्तावेज वादीपक्ष द्वारा पेश किया गया है,उस अधिकृत दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2033 की प्रति प्रदर्श– 3 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम फालना गांव के हाल खसरा नंबर. 1031 जिसके गत् खसरा न 181 मी. पर वादीगण के पिता गिरधारी पुत्र केसरसिंह द्वारा काश्त की जाने का अंकन है तथा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श– 4ए के अनुसार गिरधारी सिंह पुत्र केसरसिंह का देहान्त दिनांक 29.08. 1998 को हो चुका है। इस प्रकार खसरा गिरदावरी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार सैटलमैंट पूर्व के समय से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता गिरधारी सिंह एवं उनके देहान्त के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त भूमि फालना गावं के हाल खसरा न 1031 रकबा 0.38 हैक्टर पर काश्त व कब्जा मानने में कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को स्व रामसिंह के वारिस होना मानते है, अर्थात वादी व प्रतिवादीगण दोनो एक ही परिवार के सदस्य होना प्रमाणित है । इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अन्य भूमि गावं फांलना गांव के खसरा न. 341, 343, ,344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 405, 407, 408 कुल रकबा 7.05 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के साथ स्व0 रामसिंह के अन्य सभी वारिस सखातेदार दर्ज होना इस तथ्य कि पुष्टि करता है कि वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य पुश्तैनी भूमियों में वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ रामसिंह के अन्य वारिस प्रेमसिंह, छगनसिंह, वेनसिंह के वारिसान का नाम भी दर्ज है तथा सैटलमैंट कर्मचारियों की भूल से यथासभंव वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज होने से रह गया है। विधिक प्रावधानो के अनुसार पुश्तैनी भूमि के हक अधिकारो से किसी वारिस को अधिकार अभिलेखों में हुई किसी तकनिकी भूल के कारण अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने की पुष्टि में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी एवं मौके के फोटो चित्रों के अतिरिक्त राजस्व लोक अदालत अभियान व न्याय आपके द्वार, 2017 कैम्प कोर्ट फालना गांव में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के गवाह मोहनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी फालना

पेज लगातार.....06

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

व, प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह, चन्दन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह, वालसिंह पुत्र जालमसिंह, पाबुबाई पत्नी दौलाराम माली व बख्तावरसिंह पुत्र प्रभुसिह राजपुरोहित निवासी फालना गांव ने मजमा ए आम में दिये बयानो में स्वीकार किया है कि वे फालना गांव के रहने वाले है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण को जानते है। झगडे वाली जमीन खिमेल जाने वाली रोड भारत गैस गोदाम के आगे खिमेल की तरफ स्थित है। इस जमीन पर पिछले 50 साल से मानसिंह व लालसिंह को खेती करते देखा है इससे पहले इनके पिता गिरधारी सिंह को खेती करते देखा है जमीन करीब 3 बीघा होगी, मौके पर प्रतिवादीगण को कभी खेती करते नही देखा। गवाह पाबुबाई पत्नी दौलाराम जी जाति माली उम्र 60 वर्ष अपने बयानों में जाहिर करती है कि मैं जब ससुराल आई तब से मानसिंह व लालसिंह का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा देखती आई हूँ। दुसरे लोगो ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी हैं। **फालना गांव के खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर के पडौसः– एक तरफ ताराराम कुम्हार है, एक तरफ चन्दाबाई का खेत है, एक तरफ मेरा स्वयं का खेत है, एक तरफ पडोस सही से नही बता सकती क्योंकि बेचा हुआ है।** लोक अदालत में उपस्थित गवाहो द्वारा दिये बयानो के सबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह का आग्रह करने से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो को न्यायालय में पुनः तलब किया गया। गवाह pw–1 लगाय गवाह pw–3 वादी पक्ष परिवार से ही होने से इन गवाहो के बयानो के आधार पर कब्जे से सबंधी तथ्य को स्वीकार नही किया सकता परन्तु अन्य स्वतंत्र गवाह pw–4 पाबुबाई पत्नि दौलारामजी माली आयु 65 वर्ष, निवासी फालना गांव ने जिरह में स्वीकार किया की रामसिंह के पांच बेटे थे जिसमें चार पुत्रो ने भूमि का बेचान कर दिया एक पुत्र के वारिस वादीगणो ने बेचान नही किया है प्रेमसिंह ने आशा अग्रवाल को भूमि बेची है। गवाह pw–5 मोहनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत आयु 75 वर्ष, निवासी फालनागांव भी जिरह में इसी प्रकार के तथ्य प्रकट करते है। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष के गवाह Dw- 01 आशा अग्रवाल पत्नि घनश्याम अग्रवाल आयु 50 वर्ष, निवासी फालना स्टेशन अपने बयानो में जिरह के दौरान् यह स्वीकार किया हैं कि उसने वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार प्रेमसिंह से 5/8 हिस्सा खरीद किया है। वाद में वर्णित जमीन उसके देखी हुई है। फालना से रानी की तरफ जाते है तो हमारी संयुक्त खातेदारी भूमि में पहला हिस्सा वादीगण का आता है, पवनी देवी के आगे मेरा हिस्सा आता है। और इन्ही हिस्से अनुसार मैं मेरी खरीदशुदा भूमि पर काबिज हूँ। वादीगण लालसिंह व मानसिंह के हिस्से पर एक कमरा बना हुआ है तथा फाटक लगी हुई है। यह फाटक व कमरा हमारे द्वारा भूमि खरीदने के बाद लगे हैं। आपस में हमारी भूमि का नाप व सीमांकन का बंटवाडा नहीं हुआ है। यह फाटक व कमरा मानसिंह व लालसिंह ने ही बनवाया हैं। मेरी खरीद शुदा भूमि के तारबंदी की हुई नहीं हैं, केवल धोरापाली की हुई हैं। मैं फालनागांव के रामसिंह व उनके वारिसान किसी को नहीं जानती हूँ। हमने जब जमीन खरीदी तब हमारी खरीदशुदा भूमि पर प्रेमसिंह का कब्जा था। जिसके दक्षिण की तरफ यानि फालना की तरफ पवनी का कब्जा था। पवनी के दक्षिण की तरफ यानि फालना की तरफ वादीगण लालसिंह व मानसिंह का कब्जा था। मेरे नाम का म्यूटेशन रजिस्ट्री के आधार पर खोला गया। वर्तमान में मैं 5/8 हिस्से की खातेदार हूँ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का होने की पुष्टि वादीगण के मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य गवाह क्र. 01 आशा अग्रवाल पत्नि घनश्याम अग्रवाल आयु 50 वर्ष निवासी फालना स्टेशन भी अपने बयानो में जिरह के दौरान् बखूबी स्वीकार करती है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का काश्त व कब्जा हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि स्व. रूगनाथसिंह पुत्र रामसिंह की स्व अर्जित होना तो प्रकट करते है, परन्तु इस बाबत् भूमि खरीद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रतिवादीगण की असलीयत का ज्ञान इस तथ्य से भी होता है कि भूमि रूगनाथ पुत्र रामा कौम रावणा

पेज लगातार.....07

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058
स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजपुत के नाम दर्ज थी, तथा फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 733 दिनांक 22.12.2008 से रूगनाथ के तमाम वारिशान यथा पत्नि, पांच पुत्रियो एवं दो पुत्रो कुल आठ वारिशान के नाम दर्ज किये गये। इसके पश्चात् खसरा नंबर 951 रकबा 0.79 हैक्टर की भूमि को छोडते हुये स्व0 रूगनाथसिंह की वारिश पुत्रियॉ पेपी, पवनी व कुन्ता को छोडते हुये दरिया, गीता एवं पुत्रो हरीसिंह, हुकमसिंह व पत्नि मीरा पांच लोगो के 5/8 हिस्से का बेचान रामसिंह के अन्य पुत्र प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह के नाम जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के कर दिया गया। जिसके आधार पर 5/8 हिस्सा में प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह सह खातेदार दर्ज हुआ। इसके बाद सह खातेदार कुन्तादेवी पुत्र रूगनाथसिंह ने रिकार्ड में दर्ज 1/8 हिस्सा मेंसे 1/2 हिस्सा यानि कुल 1/16 हिस्सा का हकतर्कनामा पवनीदेवी के पक्ष में हकतर्क कर दिया। जिससे वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में पेपीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह 1/8 हिस्सा, पवनीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह 3/16 हिस्सा, कुन्तादेवी पुत्री रूगनाथसिंह 1/16 हिस्सा, प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह रावणा राजपुत 5/8 हिस्सा दर्ज हुआ तथा बाद में पेपीदेवी फौत होने से नामान्तरकरण संख्या 1102 दिनांक 9.10.2014 से पेपीदेवी के वारिशान का 1/8 हिस्सा में नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी पक्ष अपने जवाबदावा में स्वयं यह वर्णित करते हैं कि वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार कुन्तादेवी पुत्री रूगनाथसिंह ने अपना 1/16 हिस्सा का बख्शीशनामा हुमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के पक्ष में कर दिया है, जो बख्शीशनामा दिनांक 5.6.2015 को पंजिबद्ध हुआ हैं। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के पेपी पुत्र रूगनाथ के वारिशान द्वारा निहित 1/8 हिस्सा का बेचान भी दिनांक 24.9.2015 को पुनः हुकमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 24.9.2015 के हस्तांतरित कर दिये है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में रूगनाथसिंह के पुत्र हुकमसिंह 3/16 हैक्टर के सह खातेदार दर्ज हो गये। ये सभी दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वादग्रस्त भूमि को बार–बार विभिन्न तरीको से अन्तरण यथा– हकतर्कनामा, गिफटडीड व बेचान पत्रो के माध्यम से किया जा रहा है, एवं मात्र रिकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन कर वादीगण के हक हिस्से की भूमि को हडप करने की नियत से बार बार हस्तांतरित कर प्रकरण को पेचिदा व जटिल बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा हैं, एवं अब पुनः रूगनाथसिंह के पुत्र हुकमसिंह के नाम दर्ज करना इस तथ्य को प्रमाणित करता है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो से वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वज रामसिंह की सम्पति होना प्रमाणित है। जिससे तनकी संख्या–01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

2. **आया कि वादी ने स्वर्गीय रामसिंह के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है ? .....प्रतिवादीगण**

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह वर्णित किया हैं कि वादी ने स्व0 रामसिंह के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है, परन्तु वादीगण ने जिस भूमि फालनागांव के हाल खसरा नंबर 922, 1015, 1029, 1030, 1031 कुल खसरा–05 कुल रकबा 2.23 हैक्टर को पुश्तैनी भूमि होना, तथा उसमें 1/5 हिस्सा निहित होने तथा 1/5 हिस्सा अनुसार खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर वादी के हिस्से बंट में होने तथा कब्जा वादीगण का होने से घोषणा खातेदारी की मांग की हैं। इस भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज समस्त सह खातेदारान् को वादीगण द्वारा पक्षकार बनाया जा चुका है, यहां तक कि खरीदकर्ता को भी पक्षकार बनाया जा चुका हैं। स्व0 रामसिंह के अन्य पुत्र वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार दर्ज नहीं होने से वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। जिससे प्रतिवादीगण की दलील मानने योग्य नहीं है। लिहाजा तनकी संख्या–02 प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....08

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058
स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. आया कि वादी वादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्से पर खातेदारी तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निशेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? .....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं इसकी पुष्टि में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2033 की प्रति प्रदर्श–03 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि फालनागांव के हाल खसरा नंबर 1031 जिसके पुराने खसरा नंबर 181 मी. है, पर काश्त वादीगण के पिता गिरधारी की दर्ज होना प्रमाणित हैं। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटो चित्र भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। वादीपक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह pw–1 श्री लालसिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 52 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव, गवाह pw–2 मानसिंह पुत्र गिरधारी सिह उम्र 60 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना गांव, गवाह pw–3 चन्दन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह आयु 70 वर्ष, जाति भाटी निवासी फालना गांव, गवाह pw–4 पाबुदेवी पत्नी दौलाराम उम्र 65 वर्ष, जाति माली निवासी फालना गांव , गवाह pw–4 मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 75 वर्ष, जाति चौहान निवासी फालनागांव, गवाह pw–5 भुराराम पुत्र खुमाजी आयु 80 वर्ष, जाति चौधरी निवासी फालना गांव द्वारा दिये गये बयानो एवं राजस्व लोक अदालत केम्प फालना गांव में न्यायालय द्वारा मजमा–ए–आम में लिये बयानो में सभी गवाहान ने वादग्रस्त भूमि पर 40–50 वर्ष से अधिक समय से वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। इतना ही नहीं प्रतिवादी पक्ष के गवाह Dw- 01 आशा अग्रवाल पत्नि घनश्याम अग्रवाल भी जिरह के दौरान् अपने बयानो में स्वीकार करती हैं कि हमारी संयुक्त खातेदारी भूमि में पहला हिस्सा वादीगण का आता हैं। उसके आगे रानी की तरफ पवनी देवी का हिस्सा आता हैं। और इन्ही हिस्से अनुसार मैं मेरी खरिदशुदा भूमि पर काबिज हूँ। वादीगण लालसिंह व मानसिंह के हिस्से पर एक कमरा बना हुआ है तथा फाटक लगी हुई हैं। फाटक व कमरा मानसिंह व लालसिंह ने ही बनवाया हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–04 स्वयं भी वादीगण का कब्जा होना स्वीकार करती है, जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त संवत् 2032 से आज तक चला आ रहा हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार फालनागांव स्थित वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि खसरा नंबर 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 405, 407, 408 कुल खसरा–18 कुल रकबा 7.05 हैक्टर स्व0 रामसिंह के तमाम वारिशान के नाम संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज होना ज्ञात हैं। वादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावा में वर्णित तथ्यो से यह ज्ञात हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व0 रामसिंह के वारिशान है एवं इस बिन्दु को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद भी नहीं है। दोनो पक्षो के मध्य मतभेद केवल इस बिन्दु को लेकर हैं कि वादीगण वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी भूमि होना वर्णित करते हुये अपने हिस्से बंट में आई भूमि खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की घोषणा खातेदारी की मांग कर रहे है, इसके विपरित प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को स्व0 रूगनाथसिंह की स्व0 अर्जित सम्पति बताते है, परन्तु इस बाबत् भूमि स्व अर्जित होने का कोई अधिकृत दस्तावेज पेश नहीं किया है, जबकि वादीगण ने खसरा गिरदावरी की प्रति के साथ मौखिक साक्ष्य पेश किये है। चूँकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व0 रामसिंह के वारिशान है एवं हिन्दु मिताक्षरा से गवर्न होते है, जिससे संयुक्त हिन्दु परिवार के विधिक प्रावधानो के अनुसार भी वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी बनते है। इसका कारण स्पष्ट हैं कि जब अन्य भूमि स्व0 रामसिंह के सभी वारिशान के नाम दर्ज है, तो वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता रूगनाथसिंह अकेले के नाम कैसे दर्ज हुई। प्रतिवादी पक्ष जवाब दावा में रूगनाथसिंह की स्व0 अर्जित सम्पति बताते है, तथा उनके विद्वान् अधिवक्ता भी बहस में स्व0 अर्जित सम्पदा होने की दुहाई देते नहीं थकते है, परन्तु इस बाबत् स्व0 अर्जित का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके साथ ही वादीगण के कथनो को गलत ठहराने के लिये एक भी मौखिक साक्ष्य भी पेश नहीं किया हैं। जिससे वादीगण 1/5 हिस्से की खातेदारी पाने के अधिकारी होने तथा हिस्से बंट के अनुसार खसरा नंबर 1031 वादीगण के बंट में होने से वादीगण फालनागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर की घोषणा खातेदारी

पेज लगातार.....09

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2015/00058

...न स्व. गिरधारीसिंह के कामु मानसिंह वगैरा बनाम स्व. पेपीदेवी के कामु मानसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी बनते है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4. अनुतोष?

तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण अन्य कोई अनुतोश पाने के अधिकारी नहीं हैं।

—:: निर्णय ::—

तनकी संख्या 01 से 03 में किये विवेचन के अनुसार ज्ञात हैं कि वादग्रस्त भूमि फालनागांव के गत् खसरा नंबर 181 मी. तथा हाल खसरा नंबर 1031 पर खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2033 प्रदर्श—3 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार काश्त वादीगण के पिता गिरधारी की दर्ज हैं, तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो के द्वारा दिये बयानो के अनुसार 45—50 वर्षो से इस भूमि पर वादीगण काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि फालनागांव के खसरा नंबर 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 405, 407, 408 कुल खसरा—18 कुल रकबा 7.05 हैक्टर स्व0 रामसिंह के तमाम वारिशान के नाम संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज होना तथा वादग्रस्त भूमि अकेले रूगनाथसिंह के नाम दर्ज होना अपने आप में संदेहपुर्ण है, प्रतिवादी पक्ष भूमि स्व0 अर्जित का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाये एवं न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया, इसके विपरित वादी पक्ष के स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू—4 पाबूबाई पत्नी दौलारामजी माली आयु 65 वर्ष, जो कि वादग्रस्त भूमि का पडौसी है, ने जिरह में स्वीकार किया कि रामसिंह के चार पुत्रों ने भूमि का बेचान कर दिया तथा एक पुत्र के वारिस वादीगणों ने भूमि का बेचान नहीं किया है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या—04 आशा अग्रवाल अपने बयानो में वादीगण का कब्जा होना, कमरा निर्माण व फाटक वादीगण द्वारा लगाने के तथ्य प्रकट करती है। जिससे वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। फालनागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर का वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री पर्चा अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30/12/05 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

स्व. गिरधारीसिंह पुत्र केशरसिंह जी के वारिसान
1. मानसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह
2. लालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह
3. रूकमादेवी पुत्री स्व. गिरधारीसिंह
4. बसंती पुत्री स्व. गिरधारीसिंह
5. कमला पुत्री स्व. गिरधारीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण फालनागांव तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. पेपीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह के वारिसानः–
   1/1. स्व. मानसिंह पुत्र वरदसिंह के कामु वारिसान
      1/1/1. प्रवीणसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
      1/1/2. छोटूसिंह पुत्र स्व. मानसिंह
      1/1/3. सुशीलाकंवर पत्नी स्व. मानसिंह
   1/2. कमलाकंवर पुत्री वरदसिंह
2. स्व. पवनीदेवी पुत्री रूगनाथसिंह के कामु वारिसान
   2/1. हीरसिंह पुत्र लालसिंह
   2/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र लालसिंह
   2/3. अनिता पुत्री लालसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह
   2/4. लालसिंह पुत्र मेघसिंह
3. कुन्तादेवी पुत्री रूगनाथसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण फालनागांव
4. आशा अग्रवाल पत्नी घनश्याम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी फालना स्टेशन
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2015/00058
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादग्रस्त भूमि फालनागांव के गत् खसरा नंबर 181 मी. तथा हाल खसरा नंबर 1031 पर खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2033 प्रदर्श–3 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार काश्त वादीगण के पिता गिरधारी की दर्ज हैं, तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो के द्वारा दिये बयानो के अनुसार 45–50 वर्षो से इस भूमि पर वादीगण काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि फालनागांव के खसरा नंबर 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 405, 407, 408 कुल खसरा–18 कुल रकबा 7.05 हैक्टर स्व0 रामसिंह के तमाम वारिशान के नाम संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज होना तथा वादग्रस्त भूमि अकेले रूगनाथसिंह के नाम दर्ज होना अपने आप में संदेहपुर्ण है, प्रतिवादी पक्ष भूमि स्व0 अर्जित का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाये एवं न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया, इसके विपरित वादी पक्ष के स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू–4 पाबूबाई पत्नी दौलारामजी माली आयु 65 वर्ष, जो कि वादग्रस्त भूमि का पडौसी है, ने जिरह में स्वीकार किया कि रामसिंह के चार पुत्रों ने भूमि का बेचान कर दिया तथा एक पुत्र के वारिस वादीगणों ने भूमि का बेचान नहीं किया है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या–04 आशा अग्रवाल अपने बयानो में वादीगण का कब्जा होना, कमरा निर्माण व फाटक वादीगण द्वारा लगाने के तथ्य प्रकट करती है। जिससे वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। फालनागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 1031 रकबा 0.38 हैक्टर का वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner